बिहार विधान-सभा सचिवालय

की

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति

1991-92

का

22वां प्रतिवेदन

(स्वास्थ्य विभाग से संबंधित)

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से प्राप्त अभ्यावेदनों की जांच से सम्बन्धित बिहार विधान-सभा की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति का 22वां प्रतिवेदन ।

बिहार विधान-सभा सचिवालय

(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति शाखा)

पटना

1993

सदन में उपस्थापित करने की तिथि 29.7.93

विषय-सूची

		पृष्ठ सं०
1. प्राक्कथन ।		
2. समिति के सदस्यों की सूची	..	क—ग
3. प्रतिवेदन ..	..	1—4
4. परिशिष्ट ..	..	5—34

प्राक्कथन

बिहार विधान-सभा की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति (1991—93) के सभापति की हैसियत से मैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों तथा संगठनों द्वारा प्राप्त स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अभ्यावेदनों की जांच के संबंध में समिति का प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं ।

सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय को दी जाने वाली आरक्षण सुविधाओं तथा उनकी समस्याओं पर आधारित स्वास्थ्य विभाग से सम्बंधित समिति को प्राप्त अभ्यावेदनों पर मा० अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा की स्वीकृति के बाद समिति द्वारा आवश्यक कार्रवाइयां की गईं । समिति ने अभ्यावेदन में वर्णित विषयों पर सचिव, स्वास्थ्य विभाग को प्रतिवेदन सौपने का निर्देश दिया तथा समिति की बैठकों में विभाग से प्राप्त उत्तर के आधार पर विभागीय पदाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर अभ्यर्थियों की समस्याओं का समाधान किया गया । इसे उप-समिति (2) ने दिनांक 3 मार्च 1993 की बैठक, तथा मुख्य समिति ने दिनांक 11 मई 1993 की बैठक में सर्व-सम्मति से पारित कर दिया ।

इस प्रतिवेदन को सदन में प्रस्तुत करते हुए समिति सर्वप्रथम माननीय अध्यक्ष महोदय के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करती है जिनकी प्रेरणा से इस प्रतिवेदन को उपस्थापित किया जा सका ।

समिति के प्रतिवेदन को तैयार करने में समिति के सदस्यों ने जिस अभि-रूचि और तत्परता का परिचय दिया है उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

प्रथम खंड में प्राक्कथन एवं समिति के सदस्यों की सूची, द्वितीय खंड में प्रतिवेदन तथा तृतीय खड में प्रासंगिक परिशिष्ट हैं ।

प्रतिवेदन तैयार करने में सभा सचिवालय के जिन पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सहयोग दिया है उसके लिए समिति उनका शुक्रिया अदा करती है। साथ ही समिति विभागीय पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देती है, जिन्होंने अपेक्षित सूचना देकर प्रतिवेदन के लिए सामग्रियां प्रस्तुत की हैं ।

पटना:
दिनांक 11 मई, 1993 ।

टेकलाल महतो,
सभापति,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित
जनजाति कल्याण समिति ।

बिहार विधान-सभा सचिवालय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के सदस्यों की सूची (1993-94)।

सभापति

1. श्री टेकलाल महतो, स० वि० स०

सदस्यगण

2. श्री देवीपद उपाध्याय, स० वि० स०
3. श्री यमुना सिंह, स० वि० स०
4. श्री जवाहर पासवान, स० वि० स०
5. श्री सलखन सोरेन, स० वि० स०
6. श्री नलिन सोरेन, स० वि० स०
7. श्री बजमोहन राम, स० वि० स०
8. श्री निर्मल कुमार बेसरा, स० वि० स०
9. श्री बंदी ऊरांव, स० वि० स०
10. श्री मानिक चन्द राय, स० वि० स०
11. श्री गोरख राम, स० वि० स०
12. श्री काली दास मुर्मू, स० वि० स०
13. श्री श्याम नारायण प्रसाद, स० वि० स०
14. श्री ज्योतिन्द्र प्रसाद, स० वि० स०
15. श्रीमती सुशीला हांसदा, स० वि० स०
16. श्री बाबू लाल, स० वि० स०

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति के सदस्यों की सूची (1992-93)

सभापति

1. श्री स्टीफेन मरांडी, स० वि० स०

सदस्यगण

2. श्री यमुना सिंह, स० वि० स०
3. श्री निर्मल कुमार बेसरा, स० वि० स०
4. श्री जवाहर पासवान, स० वि० स०
5. श्री बंदी उरांव, स० वि० स०
6. श्री श्याम नारायण प्रसाद, स० वि० स०
7. श्री गोरख राम, स० वि० स०
8. श्री ज्योतिन्द्र प्रसाद, स० वि० स०
9. श्री मानिक चन्द राय, स० वि० स०
10. श्री आदित्य सिंह, स० वि० स०
11. श्री बाबू लाल, स० वि० स०
12. श्री नलिन सोरेन, स० वि० स०
13. श्री सलखन सोरेन, स० वि० स०
14. श्री ब्रजमोहन राम, स० वि० स०
15. श्री देवीपद उपाध्याय, स० वि० स०
16. श्री कालीदास मुर्मू, स० वि० स०
17. श्रीमति सुशीला हांसदा, स० वि० स०

बिहार विधान-सभा सचिवालय

सचिव	..	श्री युगल किशोर प्रसाद
संयुक्त सचिव	..	श्री लियोवाल्टर कुजूर
उप-सचिव	..	श्री चन्द्रशेखर नारायण सिंह,
अवर-सचिव	..	श्री सीताराम साहनी
प्रशासी पदाधिकारी	..	श्री कालीचरण देहरी
प्रशाखा पदाधिकारी	..	श्री शत्रुघ्न प्रसाद यादव
प्रशाखा पदाधिकारी	..	श्री कु० माधवेन्द्र सिंह,
प्रवर कोटि सहायक	..	श्री नृपेन्द्र कुमार सिंह,
प्रवर कोटि सहायक	..	श्री अवधेश कुमार गिरी
सहायक	..	श्री अभय कुमार
सहायक	..	श्री नन्द किशोर प्रसाद सिन्हा
सहायक	..	श्री मो० इनाम जफर

प्रतिवेदन

(1) बिहार विधान-सभा की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति के सभापति को सम्बोधित एक ही विषय पर दो अलग - अलग अभ्यावेदन डा० आर० एन० चौधरी, अध्यक्ष, बिहार एस० सी० एस० टी० हेल्थ सर्विस ऐसोसियेशन एवं श्री विद्यापति से दिनांक 24 मई 1990 एवं दिनांक-29 मई 1990 को प्राप्त हुए । अभ्यावेदन में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति समुदाय के चिकित्सकों को कनीय शैक्षणिक पदों पर आरक्षण नीति के अनुसार उचित प्रतिनिधित्व देने एवं सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के सभी विभागों में आरक्षण रोस्टर बिन्दु वार क्रम से पदस्थापित नहीं करने के संबंध में स्वास्थ्य विभाग की दोषपूर्ण नीति पर दुःख प्रकट करते हुए इस सम्बंध में समिति द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है (परिशिष्ट 1 एवं 2)।

उक्त अभ्यावेदनों पर समिति में विचार करने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 25 जून 1990 को आदेश प्राप्त हुआ । माननीय अ० म० के आदेशोपरान्त समिति ने अपनी दिनांक 19 जुलाई 1990 की बैठक में सचिव, स्वास्थ्य विभाग से अभ्यावेदन में वर्णित विषय पर प्रतिवेदन मांगने का निदेश दिया । निदेशानुसार सभा सचिवालय के पत्र सं० वि० स० क0 8190--1632, दिनांक 23 अगस्त 1990 एवं 1792, दिनांक 10 सितम्बर 1990 द्वारा अभ्यावेदन की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु स्वास्थ्य विभाग को अग्रसारित की गयी (परिशिष्ट 3 एवं 4)।

स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक 945(17), दिनांक 16 अक्टूबर, 1990 द्वारा उक्त विषय पर अपना प्रतिवेदन सभा सचिवालय को भेजा जिसमें कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत पत्र की प्रति संलग्न करते हुए यह कहा है कि पदस्थापन में आरक्षण का प्रावधान नहीं है (परिशिष्ट 5 एवं 6)।

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आरक्षित वर्ग के लिए 14 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत का लाभ देने का जो प्रावधान है उसे इस पदस्थापन में दिया जाता है।

(2) स्वास्थ्य विभाग से ही सम्बंधित दो और अभ्यावेदन दिनांक 5 सितम्बर, 1990 को डा० हरिनन्दन राम एव श्री एडवर्ड ए० स० के० द्वारा प्राप्त हुए । डा० हरिनन्दन राम ने अपने अभ्यावेदन में देशी चिकित्सा, बिहार

पटना, के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के आरक्षित पद (प्रबन्धक एवं निदेशक) के विरुद्ध सामान्य जाति को प्रोन्नति देने के सम्बंध में शिकायत की है । डा० हरिनन्दन राम ने उक्त पद के लिए अपना दावा पेश करते हुए अनुरोध किया है कि उन्हें प्रबंधक के पद पर पदस्थापित करने के सम्बंध में समिति द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाय (परिशिष्ट 7) ।

(3) श्री एडवर्ड ए० स० के०, सेवा निवृत कृषि अधिदर्शक, कुष्ठ अनुसंधान संस्थान, ब्राम्बे, रांची ने अपने अभ्यावेदन में निराशा भरे शब्दों में कहा है कि सेवा निवृत्ति के दो साल बाद भी किसी प्रकार की राशि नहीं मिलने के कारण उन्हें अपने परिवार के पालन पोषन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । श्री एडवर्ड ने अपनी इस समस्या के समाधान के लिए समिति के माध्यम से उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है (परिशिष्ट 8) ।

उक्त उभ्यावेदनों पर समिति में विचार करने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय, द्वारा दिनांक 29 सितम्बर, 1990 को आदेश प्राप्त हुआ । माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशोपरान्त समिति ने अपनी दिनांक 5 अक्टूबर 1990 की बैठक में सचिव, स्वास्थ्य विभाग से अभ्यावेदन में वर्णित विषय पर प्रतिवेदन मांगने का निदेश दिया । निदेशानुसार सभा सचिवालय के पत्रांक वि० स० क० 4190-2422, दिनांक 12 नवम्बर 1990 तथा पत्रांक 2431, दिनांक 12नवम्बर, 1990 द्वारा अभ्यावेदनों की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु स्वास्थ्य विभाग को अग्रसारित की गई (परिशिष्ट 9 एवं 10) ।

स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक 271 (दे० चि०), दिनांक 22 फरवरी, 1991 द्वारा समिति को सूचना दी कि डा० हरिनन्दन राम को राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना में प्रबंधक के आरक्षित पद पर पदस्थापित कर दिया गया है (परिशिष्ट 11) ।

श्री एडवर्ड के मामले पर आवश्यक कार्रवाई करने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक 411(14), दिनांक 5 मार्च 1991 द्वारा समिति को सूचना दी कि श्री एडवर्ड की सभी प्रकार की बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है (परिशिष्ट 12 एवं13) ।

(4) श्री राम प्रसाद सादा ने दिनांक 30 मार्च 1991 को सभापति महोदय को अपने अभ्यावेदन के द्वारा यह सूचना दी कि डा० बैकुन्ठ उपाध्याय, देशी चिकित्सा पदाधिकारी, सहरसा ने राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, झाड़ा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद पर अवैध रूप से सवर्ण जाति के उम्मीदवार की नियुक्ति कर दी है । आवेदक ने समिति से अनुरोध किया कि इस अवैध नियुक्ति को रद्द कराया जाय (परिशिष्ट 14) ।

उक्त अभ्यावेदन को माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशोपरान्त आवश्यक कार्रवाई हेतु सभा सचिवालय के पत्रांक वि० स० क० 73|91--1988, दिनांक 7 अक्टूबर, 1991 द्वारा सचिव, स्वास्थ्य विभाग को अग्रसारित किया गया (परिशिष्ट 15)।

स्वास्थ्य विभाग ने इस सम्बंध में जांच-पड़ताल कर अवैध नियुक्ति को रद्द कर दिया। साथ-ही इस आरोप में दोषी पदाधिकारी को निलम्बित कर अपने पत्रांक 16|एमा-84|92--638, दिनांक 14 अक्टूबर, 1992 द्वारा सभा सचिवालय को इस कार्रवाई की सूचना दी (परिशिष्ट 16)।

(5) स्वास्थ्य विभाग से ही सम्बंधित एक अभ्यावेदन श्री राजेन्द्र राम, सफाई सेवक, अनु० ना० म० मे० कॉलेज, गया से प्राप्त हुआ जिसमें इन्होंने अपने वेतन भुगतान में अधीक्षक द्वारा अनावश्यक विलम्ब करने की शिकायत करते हुए अपनी समस्या के समाधान के लिए समिति द्वारा सहानुभूति पूर्वक विचार किये जाने का अनुरोध किया है (परिशिष्ट 17)।

उक्त अभ्यावेदन पर समिति में विचार करने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 7 फरवरी 1992 को आदेश प्राप्त हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशोपरान्त समिति ने अपनी दिनांक 30 मार्च 1992 की बैठक में अभ्यावेदन में वर्णित विषय पर स्वास्थ्य विभाग से प्रतिवेदन मांगने का निदेश दिया। निदेशानुसार सभा सचिवालय के पत्रांक वि० स० क० 17|92-485, दिनांक 9 अप्रील 1992 द्वारा अभ्यावेदन की प्रति सचिव स्वास्थ्य विभाग तथा अधीक्षक, अनु० ना० म० मे० कॉलेज, गया को अग्रसारित किया (परिशिष्ट 18)।

अधीक्षक, अनु० ना० म० मे० कॉलेज, गया ने अपने पत्र सं० 544, दिनांक 6 मई 1992 द्वारा समिति को सूचना दी कि श्री राजेन्द्र राम, सफाई सेवक का पूर्व के सभी बकाये का भुगतान कर दिया गया है (परिशिष्ट 19)।

बिहार विधान-सभा की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की उप-समिति (2) जिसे स्वास्थ्य विभाग से सम्बंधित उक्त मामलों के निष्पादन हेतु सौंपा गया था उसने अपनी दिनांक 29 जनवरी, 1993 की बैठक में अभ्यावेदनों से सम्बंधित विभागीय प्रतिवेदनों की समीक्षा की तथा विभागीय उत्तर के आलोक में उक्त अभ्यावेदनों को निष्पादित कर दिया।

समिति ने विचार-विमर्श के दौरान महसूस किया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जातियों की समस्याओं से सम्बंधित अभ्यावेदन जब विभाग में जाता है तो विभाग द्वारा उन पर तत्परता से कारंवाई नहीं की जाती है जिसके कारण साधारण समास्याओं के निष्पादन में समिति को काफी समय लग जाता है ।

अतः समिति सिफारिश करती है कि भविष्य में जब भी कोई अभ्यावेदन विभाग में जाय तो उसके निष्पादन में शीघ्रता बरती जाय और जो अभ्यावेदन विभाग में लम्बित हैं उनका कार्यान्वयन प्रतिवेदन समिति को शीघ्र भेजा जाय ।

टेकलाल महतो,
सभापति,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित-
जनजाति कल्याण समिति ।

पटना.
दिनांक 11 मई 1993

परिशिष्ट 1

BIHAR SC/ST HEALTH SERVICES ASSOCIATION PATNA, BIHAR

पत्रांक 110

सेवा में,

अध्यक्ष,
अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति, बिहार विधान-सभा, पटना ।

पटना, दिनांक 16 मई 1990

विषय—कनीय शैक्षणिक पदों पर अनुसूचित जाति-जनजाति के समुदाय के चिकित्सकों को आरक्षण के नीति के अनुसार उचित प्रतिनिधित्व एवं सभी मेडिकल कालेजों के सभी विभागों में आरक्षण रोस्टर बिन्दुवार क्रम से पदस्थापित करने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में अनुरोध करना है कि बिहार के चिकित्सा महाविद्यालयों में शैक्षणिक पदों पर पदस्थापना में हेतु विभाग में प्रक्रिया चल रही है । ज्ञातव्य है कि उक्त पैनेल हेतु दिसम्बर, 1987 में विज्ञापन निकाला गया था जिसमें कंडिका 9 के अनुसार सभी शैक्षणिक पदों के लिए सामान्य निर्धारित मापदंडों में आरक्षित कोटि के चिकित्सकों के लिए शर्तों में ज्ञाप सं० 1103(1) स्वा०, पटना, दिनांक 21 मार्च 1979 के आलोक में शिथिलता बरतने की घोषणा की गयी थी साथ ही पत्र सं० 11-वि०, दिनांक 1 मार्च 1989 का 136, दिनांक 14 जून 1989, बिहार सरकार, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा विभाग को निर्देश दिया गया था कि दिनांक 31 दिसम्बर 1989 तक आरक्षित रोस्टर बिन्दुओं तथा पहले से पड़े आ रहे बैकलोग के अनुसार आरक्षित रिक्त पदों को निश्चित रूप से भर दिया जाय ।

परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त पैनेल हेतु इन वर्गों के सुविधाओं के प्रति सरकार के निर्देश के बावजूद विभाग उदासीन है । खासकर निबंधन एवं सहायक प्राध्यापक के पैनेल में विभाग द्वारा इन वर्गों के प्रति उपेक्षा बरत रही है क्योंकि विज्ञापित उपबंधों जैसे सहायक प्राध्यापक हेतु तीन साल का शैक्षणिक अनुभव (जिन्हें शिथिल करना है) को दायरे में लाकर इन्हें अयोग्य घोषित किया जा रहा है जबकि पूर्व में इन उपबंधों को शिथिल कर आरक्षित सीट भरी जाती रही है ।

एक और मुख्य मुद्दा इन वर्गों के पदस्थापना के संबंध में है। पूर्व में विभाग द्वारा इन पदों पर की गयी पदस्थापना से ज्ञात होता है कि इन्हें खास मेडिकल कॉलेज में ही पदस्थापित कर दिया जाता है। जहां सुविधाओं से परे रहता है। अतः इन वर्गों की पदस्थापना कोटा के अनुसार आरक्षण रोस्टर बिन्दु-वार क्रम से सभी मेडिकल कॉलेजों के सभी विभागों में किया जाय जिस तरह से पी० एम० ए० डी० टी० एवं पी० जी० एम० ए० टी० में कोटा के अनुसार सभी महाविद्यालयों में आरक्षित सीट पर किया जाता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में बिहार अनुसूचित जाति।जनजाति स्वास्थ्य सेवा संघ अनुरोध करती है कि स्वास्थ्य विभाग एवं बिहार सरकार के घोषणा के अनुसार सभी कनीय शैक्षणिक पदों पर, उपबंधों को उस हद तक शिथिल करते हुए कोटा के अनुसार, आरक्षित रोस्टर बिन्दुओं तथा पहले से पड़े आ रहे बैकलॉग को पूरा करते हुए, सभी मेडिकल कॉलेजों के सभी विभागों में पदस्थापना की जाय जिससे इन समुदायों को उचित न्याय मिल सके।

आपका विश्वासभाजन,
रवीन्द्र नाथ चौधरी,
अध्यक्ष।

प्रतिलिपि

1. प्रधान मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. गृह मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. केन्द्रीय श्रम एवं कल्याण मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. मुख्यमंत्री, बिहार सरकार, पटना।
5. आयुक्त, अनुसूचित जाति।जनजाति, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. आरक्षण आयुक्त, अनुसूचित जाति।जनजाति, बिहार सरकार, पटना।
7. अध्यक्ष, अनुसूचित जाति।जनजाति कर्मचारी संघ, बिहार, पटना।
8. श्री उदयनारायण चौधरी, सदस्य अनुसूचित जाति।जनजाति कल्याण समिति, बिहार विधान-सभा, पटना।
9. अध्यक्ष, अनु० जाति।जनजाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।

रवीन्द्र नाथ चौधरी,
अध्यक्ष।

परिशिष्ट 2

बिहार राज्य अनुसूचित जाति/जन-जाति चिकित्सक संघर्ष समिति, पटना

सेवा में

माननीय सभापति महोदय,
अनुसूचित जाति/जन-जाति कल्याण समिति,
बिहार विधान-सभा, पटना ।

विषय—स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के कनीय शैक्षणिक पदों पर अनुसूचित जाति।जन-जाति के चिकित्सकों को आरक्षण के नियमानुसार उचित प्रतिनिधित्व देते हुए सभी मेडिकल कालेज के सभी विभागों में आरक्षण रोस्टर बिन्दुवार क्रम एवं कैरी फारवर्ड को पूरा करते हुए पदस्थापित करने के संबंध में ।

महाशय,

सानुरोध कहना है कि समय-समय पर निर्गत आरक्षण संबंधी आदेशों का कृपया पुनरावलोकन किया जाय । बिहार सरकार नियुक्ति विभाग का पत्रांक 9277, दिनांक 29 मई 1971 एवं पत्रांक 4611, दिनांक 11 मार्च 1972 के द्वारा सरकारी सेवाओं म प्रथम नियुक्ति की तरह प्रोन्नति।प्रतिनियुक्ति में भी अनुसूचित जाति।जन-जाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी है । यदि नियुक्ति प्रोन्नति। प्रतिनियुक्ति के लिए रिक्तियों की संख्या कम हो तो इसके लिए रोस्टर पद्धति लागू की गयी है ताकि अनुसूचित जाति।जन-जाति के उमीदवारों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके । यदि फिर भी आरक्षित कोटा के उम्मीदवार उपयुक्त मात्रा में नहीं मिलते हैं तो उनके हित में नियुक्तियों को आगे ले जोन (कैरी फारवर्ड) का सख्त आदेश है ।

उपरोक्त परिपत्रों के संदर्भ में कार्मिक विभाग का पत्रांक 583, दिनांक 11 अगस्त 1979 भी उल्लेखनीय है । जिसके द्वारा चिकित्सा महाविद्यालयों में रेजिडेन्ट।निबन्धक।सहायक प्रध्यापक, आदि शैक्षणिक पदो पर पदस्थापना में भी नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान है । क्योंकि यह पदस्थापना प्रोन्नति के लिए आवश्यक माना जाता है, इसलिए इन शैक्षणिक पदों पर पदस्थापन में रोस्टर बिन्दु का ध्यान रखते हुए अनुसूचित जाति।जन-जाति के चिकित्सकों का चयन आवश्यक है । परन्तु दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने परिपत्र सं० 349, दिनांक 19 जुलाई 1985 एवं अन्य परिपत्रों द्वारा स्वयं खेद प्रगट किया है कि आरक्षण के नियमों का पालन सही ढंग से नहीं हो रहा है । जिससे आरक्षित कोटि क उम्मीदवारों को हानि हो रही है । इस हानि के जिम्मेदार व्यक्तियों को दंड देने का भी प्रावधान है ।

बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के कनीय शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति में आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों को चयन में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। फलस्वरूप उनका सही प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया है, यह बड़े ही खेद का विषय है। सम्प्रति स्वास्थ्य विभाग के 1987-88 पैनल से कनीय शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हो रही है अधिकतर विषयों के लिए अधिसूचना निर्गत भी कर दी गयी है शेष बाकी है जिसमें आरक्षित रिक्तियों की संख्या पर विवाद है । उदाहरणार्थ—प्लास्टिक सर्जरी निबंधक के 1987 पैनल में दो पद रिक्त हैं परन्तु स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि चार रिक्तियां रहती तो एक पद मिलता जबकि आजतक एक भी अनुसूचित जाति।जन-जाति चिकित्सक उस पद पर नहीं आये हैं। जबकि रोस्टर नियम का पालन करते हुए दो में से एक पद कम-से-कम अनुसूचित जाति।जन-जाति को मिलना चाहिए। इसी तरह अन्य कई विभागों में भी भरे पड़े हैं।

2. आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों का यदि चयन भी होता है तो उन्हें पटना, रांची, दरभंगा, आदि चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रतिनियुक्त नहीं किया जाता है जहां पर स्नात्तकोतर स्तर की पढ़ाई है इससे आरक्षण के मूल उद्देश्यों का हनन होता है।

अतः उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं के आलोक में आपसे अनुरोध है कि कनीय शैक्षणिक पदों पर प्रतिनियुक्ति हेतु आरक्षण के नियमानुसार 1971 से रोस्टर का निर्माण सभी विषयों के लिए अलग-अलग कराया जाय तथा आजतक जितने आरक्षित रिक्तियों पर अनारक्षित कोटि के उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया है सारी रिक्तियां जोड़कर यथास्थान आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों को पटना, रांची, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालयों में पदस्थापित करने की कृपा की जाय तथा जिन विषयों की अधिसूचना निर्गत हो चुकी है उनका संशोधन करते हुए आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों को उचित प्रतिनिधित्व देने की कृपा की जाय।

आपका विश्वासभाजन,

(ह०) अस्पष्ट,
संयोजक।

(ह०) अस्पष्ट,
सह-संयोजक।
29-5-1990

(ह०) अस्पष्ट,
कोषाध्यक्ष।
29-5 1990

बिहार राज्य अनुसूचित जाति।जन-जाति चिकित्सक संघर्ष समिति, पटना।

अनुलग्नक बिहार सरकार कार्मिक विभाग का परिपत्र संख्या 349, दिनांक 19 जुलाई 1985, परिपत्र संख्या 583, दिनांक 11 नवम्बर 1979, परिपत्र संख्या दिनांक 8 नवम्बर 1975, परिपत्र संख्या 4611, दिनांक 11 मार्च 1972।

(ह०) अस्पष्ट,
29-5-1990

परिशिष्ट 3

पत्र संख्या 1632-वि० स०

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अनुसूचित जाति एवं अनु० जन-जाति कल्याण समिति

खंड सचिका वि० स० क० 8190

सेवा में,
सचिव, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य विभाग, पटना ।

दिनांक 23 अगस्त 1990

महोदय,
श्री आर० एन० चौधरी, अध्यक्ष, बिहार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति SC/ST डा० हेल्थ सर्विस एसोशियशन, पटना द्वारा प्राप्त अभ्यावेदन जो बिहार विधान-सभा की अनुसूचित जाति एवं अनु० जन-जाति कल्याण समिति द्वारा अनुमोदित है, की टंकित प्रति संलग्न करते हुए निदेशानुसार मुझे सूचित करना है कि अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों पर उचित कारवाई कर एक विस्तृत प्रतिवेदन सभा-सचिवालय (अनुसूचित जाति एवं अनु० जन-जाति कल्याण समिति शाखा) को 20 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा की जाए ।
कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन;
(ह०) अस्पष्ट,
उप-सचिव, बिहार विधान-सभा, पटना ।

ज्ञापांक 1632

दिनांक 23 अगस्त 1990

प्रति श्री आर० एन० चौधरी, अध्यक्ष बिहार SC/ST डा० हेल्थ सर्विस एशोसियशन जे०/12 पी० सी० कॉलोनी कंकड़बाग पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

(ह०) अस्पष्ट,
उप-सचिव, बिहार विधान-सभा, पटना

परिशिष्ट 4

पत्र संख्या 1792-वि० स०
बिहार विधान-सभा सचिवालय

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति
संचिका सं० वि० स० क० (खण्ड 8।90)

सेवा में
सचिव, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 10 सितम्बर 1990

विषय—बिहार राज्य अनुसूचित जाति।जन-जाति चिकित्सक संघर्ष समिति, पटना से प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार ।

महोदय,

बिहार राज्य अनुसचित जाति।जन-जाति चिकित्सक संघर्ष समिति, पटना से प्राप्त अभ्यावेदन, जो बिहार विधान-सभा की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति द्वारा अनुमोदित है की टंकित प्रति संलग्न करते हुये निदेशानुसार मुझे सूचित करना है कि अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों पर उचित कार्रवाई कर एक विस्तृत प्रतिवेदन सभा सचिवालय (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्यण समिति शाखा) को 20 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाये ।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
उप-सचिव, बिहार विधान-सभा, पटना ।

ज्ञापांक 1792

दिनांक 10 सितम्बर, 1990

प्रति अध्यक्ष बिहार राज्य अनुसूचित जाति।जन-जाति चिकित्सक संघर्ष समिति के०-12 पी० सी० कॉलनी, कंकड़बाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

(ह०) अस्पष्ट,
उप-सचिव, बिहार विधान-सभा, पटना ।

परिशिष्ट 5

पत्रांक 17-ए-2-204/90---945(17)-स्वा०

बिहार सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक
श्री अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव, बिहार ।

सेवा में,
उप-सचिव,
बिहार विधान-सभा सचिवालय, पटना ।

पटना, दिनांक 16 अक्टूबर, 1990

विषय---डॉ० आर० एन० चौधरी, अध्यक्ष, अनुसूचित जाति एवं जन-जाति कल्याण संघ के अभ्यावेदन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या 1632, दिनांक 23 अगस्त, 1990 के प्रसंग में मुझे कहना है कि राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में कनीय शैक्षणिक पदों पर पदस्थापन पैनल से होता है । पैनल से पदस्थापन कोई नयी नियुक्ति नहीं है । यह मात्र गैर-शैक्षणिक पदों से शैक्षणिक पदो पर स्थानान्तरण है । पदस्थापन के संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 89, दिनांक 31 जनवरी, 1986 (प्रति संलग्न) में स्पष्ट परामर्श है कि पदस्थापन में आरक्षण का प्रावधान नहीं है । यही बजट है कि मेडिकल कालेज एवं अस्पतालों में जो पदस्थापन होता है उसमें स्थानान्तरण उपरान्त पदस्थापन अंकित किया जाता है । इसमें रोस्टर बिन्दु लागू नहीं किया जाता है क्योंकि यह नयी नियुक्ति नहीं है फिर भी आरक्षित वर्ग के लिये 14 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत का लाभ देने का जो प्रावधान है उसे इस पदस्थापन में दिया जाता है । अतः इसमें बैक लोग का प्रश्न नहीं है ।

जहांतक विज्ञापन में घोषित नियम को शिथिल करने की बात है अनुसूचित जाति एवं जन जाति के उम्मीदवारों के पक्ष में न्यूनतम अंक एवं ग्रामीण सेवा की शर्त्त शिथिल करने का प्रावधान है बशर्ते की उम्मीदवारों को भारतीय चिकित्सा पर्षद द्वारा कनीय शैक्षणिक पदों के लिये निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त हो और वे संबंधित विषय में हाउसमैनशीप किये हों । तदनुसार शिथिल कर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को योग्य उम्मीदवारों की सूची में लाकर पदस्थापन किया जाता है ।

इस प्रसंग में यह उल्लेख करना भी आवश्यक जान पड़ता है कि डॉ० आर० एन० चौधरी अनुसूचित जाति एवं जन जाति कल्याण सेल के अध्यक्ष हैं, के मामले भी नियम को शिथिल कर निबंधक (हड्डी) के पद पर पदस्थापना की गयी है।

मेडिकल कॉलेज में पदस्थापन जो पैनल से किया जाता है वह अधिमान-सह-इच्छा के आधार पर किया जाता है उसमें कोई भेद भाव नहीं बरती जाती है।

विश्वासभाजन,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव

पत्र संख्या 11—वि०-1102185-का०189

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक
श्री यमुना प्रसाद समैयार,
सरकार के अवरसचिव।

सेवा में, 6
सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक 31 जनवरी, 1986।

विषय—बिहार के विभिन्न मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में कनीय शैक्षणिक पदों पर स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा रोस्टर प्रणाली के अनुसार पदस्थापन नहीं करने के संबंध में श्री सकलदीप चौधरी का आवेदन।

महाशय,
निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक पर प्राप्त आवेदन की मूल प्रति को अग्रसारित करते हुए कहना है कि पदस्थापन में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। अतः पदस्थापन के विषय को स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर से निष्पादन करना चाहेगा।

विश्वासभाजन,
यमुना प्रसाद समैयार,
सरकार के अवर-सचिव।

परिशिष्ट--6

संख्या 17/ए-2-213/90 - 938(17)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं (परिवार कल्याण) विभाग

प्रेषक

श्री अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान-सभा सचिवालय, पटना ।

पटना, दिनांक 16 अक्टूबर 1990

विषय--बिहार राज्य अनुसूचित जाति/जन-जाति चिकित्सक संघर्ष समिति का अभ्यावेदन ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या 1792, दिनांक 10 सितम्बर 1990 के प्रसंग में मुझे कहना है कि कनीय शैक्षणिक पदों पर पदस्थापित चिकित्सकों की कोई नई नियुक्ति या प्रोन्नति नहीं है । कनीय शैक्षणिक पदों पर पदस्थापन उन्हीं चिकित्सकों का होता है जो पहले राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में कहीं न कहीं पदस्थापित हैं । इसमें गैर शैक्षणिक पद से अधिमान-सह-इच्छा के आधार पर पैनल से चिकित्सकों का पदस्थापन गैर शैक्षणिक पद से शैक्षणिक पद पर किया जाता है । इसमें निबंधक/रेजिडेन्ट के पद टेन्योर पद हैं । पदधारक तीन वर्ष के लिए ही पदस्थापित किये जाते हैं । चूंकि यह न नई नियुक्ति है और प्रोन्नति, अतः रोस्टर का नियम लागू नहीं होता है । फिर भी इसमें आरक्षित वर्ग के चिकित्सकों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है । आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 14 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत का लाभ दिया जाता है । अगर 14 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत का लाभ देकर उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता तो राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में शायद ही कई आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार पदस्थापित नजर आते । अतः यह कहना गलत है कि उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है ।

जहांतक पटना, रांची, दरभंगा में पदस्थापन का सवाल है---कनीय शैक्षणिक पदों पर पदस्थापन अधिमान-सह-इच्छा के आधार पर होता है। इसमें कोई भेद-भाव नहीं बरता जाता है।

निबंधक प्लास्टिक सर्जरी की दो रिक्त पदों में एक पद पर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार डा० विद्यापति चौधरी की पदस्थापना अधिसूचना संख्या 583 (17), दिनांक 6 जुलाई 1990 द्वारा की जा चुकी है।

विश्वासभाजन,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव ।

परिशिष्ट-7

प्रेषक

डा० हरिनन्दन राम,
व्याख्याता, द्रव्यगुण विभाग,
राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना।

सेवा में

सभापति महोदय,
अनुसूचित जाति एवं जन-जाति कल्याण समिति, बिहार विधान-सभा, पटना।

दिनांक 3 सितम्बर 1990 ई०

विषय—देशी चिकित्सा, बिहार, पटना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जन जाति के आरक्षित कोटा (प्रबन्धक एवं निदेशक) के विरुद्ध सामान्य जाति की प्रोन्नति के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मेरा विनम्र निवेदन है कि उपाधीक्षक के आरक्षित पद पर सामान्य जाति को नियुक्ति दिनांक 7 जुलाई 1975 ई० में की गई है।

(2) जबकि मेरे नाम की अनुशंसा के बावजूद उपाधीक्षक के आरक्षित पद से वंचित कर निम्न प्रदर्शक के पद पर दिनांक 17 मई 1975 ई० की मेरी नियुक्ति की गई है।

(3) उपाधीक्षक पद पर सामान्य जाति की नियुक्ति के पश्चात उपाधीक्षक पद को उत्क्रमित कराकर अधीक्षक पद पर प्रोन्नति उन्हें दी गई है तथा पुनः निदेशक के आरक्षित पद पर प्रोन्नति पूर्वक नियुक्ति हेतु संचिका द्रुतगामी गति से बढ़ाई गयी है।

(4) जबकि मुझे 13 वर्षों के बाद 1987 ई० में प्रदर्शक से प्रोन्नत कर व्याख्याता द्रव्यगुण विभाग, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना में बनाया गया है और कार्यरत हूं।

(5) विगत 14,15 वर्ष पूर्व मेरे नाम की अनुशंसा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा हुई थी किन्तु प्रबन्धक के आरक्षित पद पर मेरी नियुक्ति न कराकर 16 वर्षों से वह पद रिक्त रखा जा रहा है।

(6) विभागीय उच्च पदाधिकारी एवं सरकार को गलत सूचना दी जा रही है कि अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के पदाधिकारी योग्य एवं उपलब्ध नहीं हैं, यह बात सत्य नहीं है।

(7) यह बात सही है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा संवर्ग में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के पदाधिकारी अतिअल्प जरुर हैं फिर भी अतिअल्प में मैं सबसे वरीयतम अनुभवी एवं सारी अहर्ताओं को रखता हूं जैसा कि प्रोन्नति पूर्वक पद-स्थापन हेतु अनिवार्य है।

(8) आरक्षण विन्दु के आधार पर, सामान्य जातियों के रिक्तियों के आधार पर एवं वरीयता सूची के आधार पर निम्नलिखित पद आरक्षित कोटा का होना चाहिए यथा निदेशक, उप निदेशक, प्राचार्य (5 में दो), प्रबन्धक उपाधीक्षक एवं प्राध्यापकादि का किन्तु आरक्षण कोटा के विरुद्ध गलत एवं भ्रामक टिप्पणी देकर उच्च पदाधिकारी एवं सरकार को गुमराह कर लगातार सामान्य जाति से आरक्षित पद भरा जा रहा है, साथ ही उपाधीक्षक का आरक्षित पद को अधीक्षक में उत्क्रमित कराकर उसे समाप्त कर दिया गया है।

(9) बिहार विधान-सभा की अनुसूचित जाति एवं जन-जाति कल्याण समिति (1978) का षष्ठ प्रतिवेदन एवं 1974 से रोस्टर क्लिअरेन्स (Raster Clearence) देखने की कृपा की जाय जिससे उच्च पद पर प्रोन्नति पूर्वक नियुक्ति सुनिश्चित की जा सके।

अतएव आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरी प्रोन्नति निदेशक के आरक्षित पद पर की जाय तथा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित प्रबन्धक के आरक्षित पद पर पदस्थापन कर मुझे भूतलक्षी प्रभाव देकर नियुक्ति कराने की महती कृपा की जाय।

भवदीय,
डॉ हरिनन्दन राम,
व्याख्याता, द्रव्यगुण विभाग,
राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना।

परिशिष्ट-8

सेवा में

श्रीमान् अध्यक्ष,
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति,
कल्याण समिति की उप-समिति,
बिहार विधान-सभा, पटना।

विषय—सेवा समाप्ति (पेन्शन) हुए दो साल हो गया और अभी तक मेरा सरकार के सेवा बाद मिलने वाली राशि नहीं मिली है।

श्रीमान,

आप से निवेदन है कि सरकारी कर्मचारी को सेवा बाद जो राशि मिलनी चाहिये थी अभी तक कोई राशि नहीं मिली है; और न मिल रही है। प्रोभीजनल पेन्शन, 6 माही अवकाश का वेतन ग्रेच्युटी, और जीवन बीमा की राशि सेवा पूरा करने के बाद तुरन्त मिलने की राशि है। जो अभी तक एक भी नहीं मिली है। जो कुष्ठ अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान आम्बे, रांची के कार्यालय से मिलना है। नहीं मिलने के कारण, परिवार का पालन-पोषण और बच्चों का शिक्षण कार्य पर बहुत बड़ा धक्का मिल रही है।

अत: श्रीमान् से निवेदन है कि हम गरीबों के परिवारों को जल्द राशि दिलाने का उपाय करें ताकि परिवार का कल्याण करें।

एडवर्ट ए० स० के०,
29 अगस्त 1990,
(रिटायर्ड) कृषि अधिदर्शक,
कु० अ० एवं, प्र० संस्थान,
आम्बे, रांची।

परिशिष्ट–9

पत्र संख्या वि० स० क० 41190—2422 वि० स०
बिहार विधान-सभा सचिवालय

(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति शाखा)

प्रेषक,

उप-सचिव,
बिहार विधान-सभा, पटना।

सेवा में

आयुक्त-सह-सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, बिहार, पटना, निदेशक, देशी चिकित्सा, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 12 नवम्बर 1990 ई०।

विषय—श्री हरिनन्दन राम, व्याख्याता, द्रव्यगुण विभाग, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना से प्राप्त अभ्यावेदन पर कार्रवाई।

महोदय,

श्री हरिनन्दन राम, व्याख्याता से प्राप्त अभ्यावेदन जो बिहार विधान-सभा की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति द्वारा स्वीकृत है की टंकित प्रति संलग्न करते हुए निदेशानुसार मुझे अनुरोध करना है कि अभ्यावेदन के सम्बन्ध में उचित कार्रवाई करने तथा की गई कार्रवाई का विस्तृत प्रतिवेदन सभा-सचिवालय को 20 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करें।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन,

(ह०) अस्पष्ट,
उप-सचिव,
बिहार विधान-सभा, पटना।

ज्ञापांक-वि० स० क० 2422 वि० स०,

पटना, दिनांक 12 नवम्बर 1990।

प्रति लपि श्री हरिनन्दन राम, व्याख्याता, द्रव्यगुण विभाग राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, पटना को उनके अभ्यावेदन दिनांक 5 सितम्बर 1990 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

(ह०) अस्पष्ट,
उप-सचिव,
बिहार विधान-सभा।

परिशिष्ट 10

पत्र संख्या वि० स० क० 41190—2431-वि० स० ।

बिहार विधान-सभा सचिवालय
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति शाखा

प्रेषक

उप-सचिव,
बिहार विधान-सभा, पटना,

सेवा में

सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार-कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 12 नवम्बर 1990 ई० ।

विषय—एडवर्ड ए० एस० के०, रांची से प्राप्त अभ्यावेदन पर कारवाई।

महोदय,

एडवर्ड ए० एस० के० से प्राप्त अभ्यावेदन जो बिहार विधान-सभा की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति द्वारा स्वीकृत है की टंकित प्रति संलग्न करते हुए निदेशानुसार मुझे अनुरोध करना है कि अभ्यावेदन के सम्बन्ध में उचित कारवाई करने तथा की गई कारवाई का विस्तृत प्रतिवेदन सभा-सचिवालय को 20 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
उप-सचिव,
27-10
बिहार विधान-सभा, पटना ।

सं० वि० स० क० 41190—2431-वि० स०,
पटना, दिनांक 12 नवम्बर 1990

प्रति श्री एडवर्ड ए० एस० के०, रिटायर्ड कृषि अधिदर्शक, ब्राम्बे, रांची को उनके अभ्यावेदन, दिनांक 29 अगस्त 1990 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

(ह०) अस्पष्ट,
उप-सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

परिशिष्ट 11

संख्या इन्डेम (एच) एम 1-82190—271-दे०चि०-स्वा०

बिहार सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक

श्री अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के अपर-सचिव,

सेवा में
श्री ब्रह्मदेव नारायण सिंह,
उप-सचिव,
बिहार विधान-सभा।

पटना, दिनांक 22 फरवरी 1991

विषय—डॉ० हरिनन्दन राम को प्रबंधक के पद पर की गयी पदस्थापना के संबंध में।

महोदय,
निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक डॉ० हरिनन्दन राम को प्रबंधक के पद पर की गयी पदस्थापना से संबंधित अधिसूचना की एक प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाती है।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
22-2-1991,
सरकार के अपर-सचिव।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

पटना, दिनांक 31 जनवरी 1991

अधिसूचना

ज्ञाप संख्या -इन्डम (एच) एम 1-82।90—227।स्वा०,-दे० चि०—डा० हरिनन्दन राम, व्याख्याता (द्रव्यगुण) विभाग, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, पटना को तत्काल अपने ही वेतनमान (2000—3800 रुपये) में प्रबंधक के पद पर राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माण शाला, पटना के आरक्षित पद पर अस्थायी कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत पदस्थापित किया जाता है।

राज्यपाल के आदेशानुसार,
मुनी लाल रजक,
सरकार के अपर-सचिव।

ज्ञापांक . . . 227।स्वा०, दे० चि०,
पटना, दिनांक 31 जनवरी 1991)

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना।रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि अवर सचिव, वित्त (व्य० दावा निर्धारण कोषांग) विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव। मुख्य सचिव के सचिव।मंत्री राज्य मंत्री के आप्त सचिव।स्वास्थ्य आयुक्त एवं प्रधान सचिव के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि अपर आयुक्त, स्वा० के सचिव।

प्रतिलिपि कोषागार पदाधिकारी, पटना।निदेशक (दे०चि०) के सचिव एवं देशी चिकित्सा निदेशालय के सभी सहायकों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि प्राचार्य, राजकीय तिब्बी कालेज, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारंवाई हेतु प्रेषित। आदेश दिया जाता है कि अविलम्ब डा० हरिनन्दन राम, व्याख्याता राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, पटना को प्रभार सौंप दें।

प्रतिलिपि सभी प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, पटना।बेगुसराय।दरभंगा। भागलपुर एवं बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि डा० हरिनन्दन राम, व्याख्याता, द्रव्यगुण विभाग, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारंवाई हेतु प्रेषित।

(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के अपर-सचिव।

परिशिष्ट 12

सं० 14।पेन 2-43।90—100 (14)।स्वा

प्रेषक

डा० एस० के० मेहता
संयुक्त निदेशक, स्वा० से० (मा० शि० क०)
बिहार, पटना।

सेवा में

सिविल सर्जन, रांची
प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी,
कुष्ठ अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,
ब्राम्बे, रांची।

पटना, दिनांक 19 जनवरी 1991

विषय—श्री एडवर्ड ए० स० के०, सेवा निवृत्त कृषि अधिदर्शक ब्राम्बे कुष्ठ अनुसंधान संस्थान, रांची के पेंशन आदि देय राशि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे कहना है कि श्री एडवर्ड, ए० स० के०, सेवा निवृत्त कृषि अधिदर्शक जो ब्राम्बे कुष्ठ अनुसंधान संस्थान से सेवा निवृत्त हुए हैं उनका पेंशन।छः माही अवकाश का वेतन।उपादान। जीवन बीमा आदि मामले का निपटारा नहीं हो पाया है।

अतः आपको निदेश दिया जाता है कि एक सप्ताह समय सीमा के अन्दर मामले का नियमानुसार निपटारा कर निदेशालय को सूचित करें ताकि अनुसूचित जाति-अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति की उप-समिति, बिहार विधान-सभा, पटना को समयानुसार सूचित किया जा सके।

विश्वासभाजन,
एस० के० मेहता,
संयुक्त निदेशक, स्वा० से० (मा० शि० क०);
बिहार।

(सं० 100 (14)-स्वा०

पटना, दिनांक 19 जनवरी 1997

प्रतिलिपि कुष्ठ निवारण पदाधिकारी, बिहार, पटना-स्वास्थ्य भवन, सुलतानगंज पटना-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि मामले का निपटारा अपने स्तर से भी निष्पादित करावें ।

प्रतिलिपि उप-सचिव, बिहार विधान-सभा को उनके पत्रांक वि० स० क० 41190—2431, दिनांक 12 नवम्बर 1990 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि श्री एडवर्ड एस० के०, सेवा निवृत्त कृषि अधिदर्शक, कुष्ठ अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ब्राम्बे, रांची को उनके आवेदन-पत्र, दिनांक 29 अगस्त 1990 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित ।

(ह०) अस्पष्ट,
संयुक्त निदेशक, स्वा० से० (मा० शि० क०), बिहार ।

परिशिष्ट 13

पत्रांक 14।पें न 2-43।90--411 (14) ।स्वा०

प्रेषक

श्री लखन प्रसाद,
सरकार के उप-सचिव

सेवा में

श्री ब्रह्मदेव नारायण राम सिंह,
उप-सचिव, बिहार विधान सभा, पटना।

पटना, दिनांक 5 मार्च 1991

विषय—बिहार विधान-सभा की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति को प्राप्त निवेदनों के संबंध में कारंवाई।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2431, दिनांक 12 नवम्बर, 1990 के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि श्री एलबर्ट के बकाये पेंशन, अव्यवहृत अवकाश के बदले नगद राशि, उपादान तथा जीवन बीमा की राशि का भुगतान कर दिया गया है।

2. वर्णित परिस्थिति में इसे कार्यान्वित मानने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
लखन प्रसाद,
सरकार के उप-सचिव।
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

परिशिष्ट 14

सेवा में,

माननीय सभापति महोदय,
अनुसूचित जाति।जन-जाति समिति,
बिहार विधान-सभा, पटना ।

दिनांक 20 मार्च 1991

विषय--अनुसूचित जाति।जन-जाति के लिए आरक्षित पद पर गलत ढंग से सवर्णों की, की गई नियुक्ति रद्द करने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

सादर निवेदन है कि डा० बैकुन्ठ उपाध्याय, देशी चिकित्सा पदाधिकारी, सहरसा ने राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, झाड़ा प्रखंड, महिषी में जून, 1990 में एक मिश्रक एवं एक चपरासी क्रमशः उमाशंकर एवं रविन्द्र शरण का जाली पता सहरसा जिला का देकर नियुक्ति किया । जबकि उक्त दोनों पद अनुसूचित जाति, जन-जाति के लिए आरक्षित होकर 8 वर्षों से रिक्त था ।

ज्ञातव्य हो कि पटना जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी के पुत्र उमाशंकर की नियुक्ति सहरसा जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी ने किया और सहरसा के जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी के पुत्र की नियुक्ति पटना जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी ने किया । जबकि उपर्युक्त अवधि में सरकार के आदेशानुसार सभी प्रकार की नियुक्ति बन्द थी ।

अतः साग्रह अनुरोध है कि विधान-सभा की अनुसूचित जाति, जन-जाति समिति से जांच करवाकर गलत नियुक्ति को रद्द कर आरक्षित कोटि के सदस्यों से भरने का आदेश देने की कृपा की जाय ।

निवेदक,
राम प्रसाद सादा,
ग्राम-पो० तेलवा, भाया महिषी,
जिला सहरसा ।

परिशिष्ट 15

पत्र संख्या वि० स० क० 73।91—1988-वि० स०

बिहार विधान-सभा सचिवालय,

प्रेषक

श्री ब्रह्मदेव नारायण सिंह,
उप-सचिव,
बिहार विधान-सभा, पटना ।

सेवा में

सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, बिहार सरकार

निदेशक, देशी चिकित्सा शिक्षा, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 6 अक्तूबर, 1991 ई०

विषय—श्री राम प्रसाद सादा से प्राप्त अभ्यावेदन पर कार्रवाई

महोदय,

श्री राम प्रसाद सादा से प्राप्त अभ्यावेदन जो अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा द्वारा स्वीकृत है की टंकित प्रति संलग्न करते हुए निदेशानुसार मुझे अनुरोध करना है कि अभ्यावेदन के सम्बन्ध में उचित कार्रवाई करने की कृपा करें ।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन;

ब्रह्मदेव नारायण सिंह,
उप-सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

ज्ञापांक वि० स० क०-7391—1988-वि० स०,

पटना, दिनांक 6 अक्तूबर, 1991 ई०

प्रति श्री राम प्रसाद सादा, ग्राम-पोस्ट तेलवा, भाया महिषी, जिला सहरसा
को उनके अभ्यावेदन दिनांक 11 जुलाई, 1991 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

ब्रह्मदेव नारायण सिंह,
उप-सचिव,
बिहार विधान-सभा।

परिशिष्ट-16

संख्या 16-एम० 1-84192-638 (दे० चि०)-स्वा०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक

श्री अर्जुन प्रसाद,
सरकार के अवर-सचिव ।

सेवा में,

प्रभारी अवर-सचिव,
अनुसूचित जाति एवं जन-जाति समिति,
बिहार विधान-सभा सचिवालय,
पटना ।

पटना, दिनांक 14 अक्तूबर, 1992 ई०

विषय—आरक्षित पदों पर गलत ढंग से सवर्णों की की गयी नियुक्ति को रद्द करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक वि० स० क० 73191-1988, दिनांक 7 अक्तूबर, 1991 के साथ अनुलग्नक श्री राम प्रसाद सादा, ग्राम-पो० तेलवा, जिला सहरसा के दिनांक 20 मार्च, 1991 के बिहार विधान-सभा सचिवालय के द्वारा प्राप्त पत्र के प्रसंग में मुझे कहना है कि जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी, सहरसा के द्वारा नियुक्त किये गये श्री उमाशंकर, मिश्रक एवं श्री रवीन्द्र शरण की सेवा देशी चिकित्सा निदेशालय, बिहार, पटना के ज्ञाप संख्या 182 (दे० चि०), दिनांक 2 मई, 1992 के द्वारा समाप्त कर दी गयी है एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिसूचना संख्या 495 (दे० चि०), दिनांक 26 अगस्त, 1992 के द्वारा डा० बैकुण्ठ उपाध्याय, जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी, सहरसा को निलम्बित भी कर दिया गया है ।

आपके सुलभ प्रसंग हेतु आदेश की दोनों छाया प्रति संलग्न है ।

विश्वासभाजन,
अर्जुन प्रसाद,
सरकार के अवर-सचिव ।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 26 अगस्त, 1992

संख्या इन्डेम (एच०) सी०-2-16190494-(दे० चि०)-स्वा०— निदेशानुसार कहना है कि डा० बैकुण्ठ उपाध्याय, जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा अपने पदस्थापन अवधि में वर्ग 3 एवं 4 के पद पर नियुक्ति किया गया, जिसमें सरकार एवं विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया और वर्ग-3 एवं 4 के पद पर नियुक्ति की गयी है। यह आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित हो चुका है। अतः उक्त आरोप में डा० उपाध्याय को आदेश निर्गत की तिथि से निलम्बित किया जाता है।

2. निलम्बन की अवधि में बिहार सेवा संहिता के नियम 96 के अन्तर्गत प्रावधानों के अनुसार उन्हें अनुमान्य जीवन-यापन भत्ता देय होगा तथा निलम्बन अवधि में डा० उपाध्याय का मुख्यालय जिला संयुक्त औषधालय, पूर्णियां का कार्यालय होगा।

3. विभागीय कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत किया जा रहा है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
भैरो महतो,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप संख्या 495 (दे० चि०)।स्वा०,
पटना, दिनांक 26 अगस्त, 1992।

प्रतिलिपि अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना।रांची को सूचनार्थ प्रेषित

भैरो महतो,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप संख्या 495 (दे० चि०)-स्वा०
पटना, दिनांक 26 अगस्त, 1992 ई०

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, सहरसा।पूर्णियां को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि कोषागार पदाधिकारी, सहरसा।पूर्णियां को सूचनार्थ प्रेषित

प्रतिलिपि जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्णियां को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारंवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि डा० बैकुण्ठ उपाध्याय, जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि देशी चिकित्सा निदेशालय के सभी पदाधिकारियों । कर्मचारियों को सूचनार्थ प्रेषित ।

भैरो महतो,
सरकार के उप-सचिव ।

परिशिष्ट 17

सेवा में

सभापति,
अनुसूचित जाति, जन-जाति कल्याण समिति,
बिहार विधान-सभा, पटना ।

विषय—वेतन भुगतान एवं नौकरी के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निवेदन पूर्वक कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना के सी० डब्लू० जे० सी० नं० 5178।1990, दिनांक 14 दिसम्बर, 1990 के आदेश के आलोक में मैं अपना योगदान सफाई सेवक के पद पर दिया था । तत्पश्चात् अधीक्षक ने अपने कार्यालय ज्ञापांक 2246।90, दिनांक 22 दिसम्बर, 1990 द्वारा मुझे एक आदेश निर्गत किये जिसके अनुपालन में मैं औषधि विभाग में अभीतक कार्य कर रहे थे । मैं हमेशा अधीक्षक के कार्यालय में अपना वेतन भुगतान हेतु आवेदन दिया लेकिन मुझे अभी तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया । दिनांक 4 सितम्बर, 1991 को मैं अपना अंतिम आवेदन वेतन भुगतान हेतु दिया था, परन्तु मुझे वेतन भुगतान के स्थान पर सेवा समाप्ति से संबंधित एक पत्र कार्यालय ज्ञापांक 1542।91, दिनांक 18 सितम्बर, 1991 दिया गया ।

ज्ञातव्य हो कि मैं पूरे परिवार वेतन के अभाव में भूखमरी के कगार पर पहुंच चुका हूं । मैं एक गरीब हरिजन कर्मचारी हूं जिसके कारण मुझे अबतक जितने भी अधीक्षक आये मेरे आवेदन पर कोई भी विचार नहीं किये इसलिए मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं कि मेरा वेतन का भुगतान माह सितम्बर में करने की कृपा करेंगे अन्यथा बाध्य होकर मुझे माह अक्टूबर में दिनांक 7 अक्टूबर, 1991 से आपके कार्यालय कक्ष के बाहर 10 बजे पूर्वाह्न से आमरण अनशन पर बैठूंगा ।

अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मेरा वेतन भुगतान करने की कृपा करेंगे ।

(1) उच्च न्यायालय के सच्ची प्रतिलिपि संलग्न ।
(2) जाति प्रमाण-पत्र के प्रतिलिपि संलग्न ।

विश्वासभाजन,
राजेन्द्र राम,
स्वीपर (सफाई सेवक),
अनु० ना० म० मे० कॉलेज अस्पताल,
गया ।

परिशिष्ट 18

पत्र संख्या वि० स० क० 17। 92-485-वि० स०
बिहार विधान-सभा सचिवालय।
(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति शाखा)

प्रेषक

.....
बिहार विधान-सभा, पटना।

सेवा में

सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना।

अधीक्षक अनु० ना० म० मे० कालेज अस्पताल, गया।

पटना, दिनांक 9 अप्रैल, 1992 ई०

विषय—श्री राजेन्द्र राम से प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार।

महोदय,

श्री राजेन्द्र राम से प्राप्त अभ्यावेदन जो बिहार विधान-सभा की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति द्वारा स्वीकृत है कि टंकित प्रति संलग्न करते हुए निदेशानुसार मुझे अनुरोध करना है कि अभ्यावेदन के संबंध में उचित कार्रवाई करने तथा की गयी कार्रवाई का विस्तृत प्रतिवेदन सभा सचिवालय को 20 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करें।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
उप-सचिव,
बिहार विधान-सभा, पटना।

ज्ञापांक वि० स० क० 485-वि० स०
पटना, दिनांक 9 अप्रैल, 1992 ई०

प्रतिलिपि श्री राजेन्द्र राम, स्वीपर (सफाई सेवक), अनु० ना० म० मे० कॉलेज अस्पताल, गया को उनके अभ्यावेदन दिनांक 23 दिसम्बर, 1991 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

(ह०) अस्पष्ट,
उप-सचिव,
बिहार विधान-सभा, पटना।

परिशिष्ट 13

संख्या 544/92

प्रेषक

अधीक्षक,

अनु० ना० मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया।

सेवा में,

उप-सचिव,
बिहार विधान-सभा,
पटना।

गया, दिनांक 6 मई, 1992

विषय--श्री राजेन्द्र राम से प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक वि० स० क० 17/92--485-वि० स०, पटना, दिनांक 9 अप्रैल, 1992 के प्रसंग में कहना है कि श्री राजेन्द्र राम, उच्च न्यायालय, पटना में याचिका दायर किये हुए थे। उच्च न्यायालय, बिहार, पटना के द्वारा पारित फैसले के अनुसार श्री राम सफाई सेवक को पूर्व के सभी बकाये राशि का भुगतान कर दिया गया है।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
अधीक्षक
अनु०ना० मगध मेडिकल कॉलेज
अस्पताल, गया।

बि० स० मु० (एल० ए०) 33--मोनो--600--20-7-1993--जे० एम० साह

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
1993